Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 102–2018/Ext.] CHANDIGARH, TUESDAY, JUNE 19, 2018 (JYAISTHA 29, 1940 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 19 जून, 2018

संख्या 59/जीएसटी–2.– हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19), की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा माल और सेवा कर नियम, 2017, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:–

1. (1) ये नियम हरियाणा माल और सेवा कर (आठवां संशोधन) नियम, 2018, कहे जा सकते हैं।

(2) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे ।

2. हरियाणा माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिन्हें, इसमें, इसके बाद, उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 58 में, उपनियम (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :–

"(1क) इन नियमों के अध्याय XVI के प्रयोजनों के लिए, एक ही स्थायी खाता संख्या रखने वाला कोई ऐसा परिवाहक, जो एक से अधिक राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में रजिस्ट्रीकृत है, वह अपनी किसी एक माल और सेवा कर पहचान संख्या का उपयोग करते हुए प्ररूप जीएसटी ईएनआर–02 में ब्यौरे देते हुए विशिष्ट सामान्य नामांकन संख्या के लिए आवेदन कर सकता है, और दिए गए ब्यौरों का विधिमान्यकरण होने पर, विशिष्ट सामान्य नामांकन संख्या सृजित किया जाएगा और उसे उक्त परिवाहक को संसूचित किया जाएगा :

परंतु जहां उक्त परिवाहक ने विशिष्ट सामान्य नामांकन संख्या प्राप्त कर लिया है, वहां वह उक्त अध्याय XVI के प्रयोजनों के लिए किसी अन्य माल और सेवा कर पहचान संख्या के उपयोग का हकदार नहीं होगा ।"।

3. उक्त नियमों में, नियम 138ग में, उपनियम (1) में,–

(i) अंत में विद्यमान "।" चिह्न के स्थान पर ":" चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा ; तथा

(ii) निम्नलिखित परन्तुक तथा व्याख्या रखी जाएगी, अर्थात्:-

"परंतु जहां परिस्थितियां ऐसा अपेक्षित करें, वहां आयुक्त, या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी, दर्शित किए गए पर्याप्त कारणों के आधार पर, प्ररूप **ईडब्ल्यूबी–03** के भाग ख में अंतिम रिपोर्ट अभिलिखित करने के समय को तीन दिन से अनधिक की अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ा सकता है।

व्याख्या.– चौबीस घंटे या तीन दिन, जैसी भी स्थिति हो, की अवधि की संगणना उस तिथि की मध्यरात्रि से की जाएगी, जिसको वाहन बीच में रोका गया था ।"।

4. उक्त नियमों में, नियम 142 में, उपनियम (5) में, "धारा 76 की उपधारा (3)" शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के पश्चात्, "या धारा 129 या धारा 130" शब्द और अंक रखे जाएंगे।

5. उक्त नियमों में, प्ररूप जीएसटी ईएनआर–01 के पश्चात्, निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात् :–

"प्ररूप जीएसटी ईएनआर–02

[देखिए नियम 58(1क)]

विशिष्ट सामान्य नामांकन संख्या प्राप्त करने के लिए आवेदन

[केवल एक ही स्थायी खाता संख्या रखने वाले ऐसे परिवाहक के लिए, जो एक से अधिक राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में रजिस्ट्रीकृत हैं]

1.	(क) विधिक नाम	
	(ख) स्थायी खाता संख्या	

2. एक ही स्थायी खाता संख्या रखने वाले के रजिस्ट्रीकरण के ब्यौरे

क्रम संख्या	माल और सेवा कर पहचान संख्या	व्यापार का नाम	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र

3. सत्यापन

मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं और घोषणा करता हूं कि इसमें ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास से सत्य और सही हैं और उसमें से कोई बात छिपाई नहीं गई है ।

हस्ताक्षर

स्थान : .... प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम

तिथि : .... पद/हैसियत ....

कार्यालय उपयोग के लिए—

नामांकन संख्या –– तिथि– .... ।"।

संजीव कौशल,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notificaiotn

The 19th June, 2018

No. 59/GST-2.— In exercise of the powers conferred by section 164 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana, hereby makes the following rules further to amend the Haryana Goods and Services Tax Rules, 2017, namely:-

1. (1) These rules may be called the Haryana Goods and Services Tax (Eighth Amendment) Rules, 2018.

(2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Haryana Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereinafter called the said rules), in rule 58, after sub-rule (1), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

"(1A) For the purposes of Chapter XVI of these rules, a transporter who is registered in more than one State or Union Territory having the same Permanent Account Number, he may apply for a unique common enrolment number by submitting the details in **FORM GST ENR-02**using any one of his Goods and Services Tax Identification Numbers, and upon validation of the details furnished, a unique common enrolment number shall be generated and communicated to the said transporter:

Provided that where the said transporter has obtained a unique common enrolment number, he shall not be eligible to use any of the Goods and Services Tax Identification Numbers for the purposes of the said Chapter XVI.”.

3. In the said rules, in rule 138C, in sub-rule (1),-

(i) for the sign “.” existing at the end, the sign “:” shall be substituted ; and

(ii) the following proviso and Explanation shall be inserted, namely:-

“Provided that where the circumstances so warrant, the Commissioner, or any other officer authorised by him, may, on sufficient cause being shown, extend the time for recording of the final report in Part B of **FORM EWB-03**, for a further period not exceeding three days.

Explanation.— The period of twenty four hours or, as the case may be, three days shall be counted from the midnight of the date on which the vehicle was intercepted.”.

4. In the said rules, in rule 142, in sub-rule (5), after the words and figures “of section 76”, the words and figures “or section 129 or section 130” shall be inserted.

5. In the said rules, after **FORM GST ENR-01,** the following FORM shall be inserted, namely:-

“FORM GST ENR-02

[See rule 58(1A)]

Application for obtaining unique common enrolment number

[Only for transporters registered in more than one State or Union Territory having the same PAN]

1.	(a) Legal name	
	(b) PAN	

2. Details of registrations having the same PAN

Serial Number	GSTIN	Trade Name	State/UT

3. Verification

I hereby solemnly affirm and declare that the information given herein above is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed there from.

Signature

Place: Name of Authorised Signatory

Date: Designation/Status……………………

For office use –

Enrolment no.– Date -.”.

SANJEEV KAUSHAL,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Excise and Taxation Department.